न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 292/2018
GCMS No. : 2018/00434

| प्रार्थीः– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली | | 1. विक्रेता जयेश सोनी पुत्र श्री जगदीश कुमार मैसर्स होटल वृद्वावन चारभुजा रोड देसूरी जिला पाली<br>2. दिलीप सोनी मैसर्स होटल वृद्वावन चारभुजा रोड देसूरी जिला पाली<br>3. रविन्द्र कुमार शर्मा मैसर्स विनायक एन्टरप्राईजेज भैरू चौक चौधरी कॉलोनी सुमेरपुर जिला पाली<br>4. मनोहर मैसर्स मां एन्टरप्राईजेज हिरापुरा प्राईमरी स्कुल के पास श्रीनाथ होटल अम्बाजी रोड आबूरोड जिला सिरोही निवासी चारणवास मीठामरोल तहसील रेवदर जिला सिरोही<br>5. मोहम्मद तोकिर खान(नोमिनी) M/s Xotik fruits Pvt Ltd 169/5(71),Panchal udyog nagar Bhimpore Daman (U.T.) 362210 Daman (Daman & Diu)396210 |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–
प्रार्थी अनुपस्थित
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

## –: निर्णय :–

दिनांक 21/09/2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद नोटिस तामिल अनुपस्थित होने से विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 18.01.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स होटल वृद्वावन चारभुजा रोड देसुरी जिला पाली पर गया। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला तथा वहां पर खाद्य सामग्री Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) 500 ML पैक की बोतलें आमजन को बिक्री हेतु रखी हुई थी, जिनको देखने से उनमें मिलावट का शक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

हुआ, तब इनमें से 8 मूल बोतल Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–729 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) को Sub Standrad does not conform to the prescribed standards and provisions of Food safety and Standards (Food) products Standards and Food Additives) regulation, 2011 and Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food safety and Standards Act, 2011 पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standard and Mis Branded Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 05 ने नियत तारिख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) का नमुना संख्या आर 729 का मेरे द्वारा कोनार्क रिसर्च फाउडेशन द्वारा जाचं करवाने पर Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) की जाचं रिपोर्ट सही पायी गई। उक्त लेबोरेट्री एन.ए.बी.एल.मान्यता प्राप्त है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–729 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./31/एक्ट/2018/50 दिनांक 30.01.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–729 को Sub Standard and Mis Branded माना है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) अप्रार्थी संख्या 3 से क्रय किया है। इस संबंध में उन्होंने प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म मैसर्स विनायक एन्टरप्राईजेज का बिल क्रमांक 698 दिनांक 01.01.2018 का पेश किया जो पत्रावली के सलंग्न है। अप्रार्थी संख्या 3 ने Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) अप्रार्थी संख्या 4 से खरीदा था जिसकी फर्म मैसर्स मॉ एन्टरप्राईजेज के नाम से है, जिसका बिल क्रमांक 14 दिनांक 18.10.2017 है जिसकी प्रति भी पत्रावली के सलंग्न है। अप्रार्थी संख्या 4 एक थोक विक्रेता है जिसने उक्त खाद्य पेय पदार्थ Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) निर्माता कम्पनी अप्रार्थी संख्या 5 से खरीद किया था जिसके बिल की प्रति भी पत्रावली के सलंग्न है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./31/एक्ट/2018/50 दिनांक 30.01.2018 की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रॉडक्ट पर Best before 6 month from the date of manufacturing (Given in Small latters) में है जो Contravention of regulations No 2.2.2.(10) of Food safety and Standards (Packaging and

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

Labelling) Regulations 2011 का उल्लघंन है साथ ही Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) नमुना संख्या आर 729 Total soluble solids (m/m) Not less than 10% होनी चाहिए उसकी जगह 8.11% है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standard and Mis Branded खाद्य पेय पदार्थ Jeera Flavored Fruit Drink (Brand Jeeru) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर रूपये 50000/– व अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 50000/– तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 05 प्रत्येक पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये अर्थात कुल रूपये 4,00,000/– अक्षरे चार लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली